न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/264
मिसल नम्बर– 81 / 2024

1.बजरंग लाल पुत्र मथुरा लाल उम्र 67 वर्ष जाति कोली निवासी 251 पारेता चक्की वाले की गली में हरिओम नगर कच्ची बस्ती कोटा राज0 थाना महावीर नगर कोटा
2.श्रीमति संतोष पत्नि मथुरा लाल उम्र 67 वर्ष जाति कोली निवासी 251 पारेता चक्की वाले की गली में हरिओम नगर कच्ची बस्ती कोटा राज0 थाना महावीर नगर कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

रवि कुमार उर्फ गोलू महावर पुत्र मथुरा लाल उम्र 67 वर्ष जाति कोली निवासी 251 पारेता चक्की वाले की गली में हरिओम नगर कच्ची बस्ती कोटा राज0 थाना महावीर नगर कोटा

अप्रार्थी।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 25/2/25

उपस्थितिः–

1.श्री मोतीलाल उज्ज्वल अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2.श्री आनंद निर्भीक, श्री रोहित पाठक, विजय विश्वास, श्री हेमन्त शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेष हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण वरिष्ट नागरिक है जो 251 पारेता चक्की वाले की गली में हरिओम नगर कच्ची बस्ती कोटा राज0 पुलिस नगर महावीर नगर कोटा राज. में निवास करते चले आ रहे है। अप्रार्थी प्रार्थी का पुत्र है जो प्रार्थीगण के साथ प्रार्थीगण के आवासीय मकान में परिवार सहित निवास कर रहा है। अप्रार्थी व उसकी पत्नी मिथलेश अपराध प्रवति की है जो आये दिन गाली गलोज करके प्रार्थीगण के साथ मारपीट करते रहते है। अप्रार्थी किसी प्रकार का कोई भरण पोषण प्रार्थीगण को अदा नही कर रहा है। इस प्रकार अप्रार्थी ने भरण पोषण से प्रार्थीगण को वंचित कर रखा है। इस कारण प्रार्थीगण के भूखे मरने की नौबत आ रही है। प्रार्थीगण की वृद्धावस्था होने के कारण किसी प्रकार का काम धंधा करने में प्रार्थीगण असमर्थ है। अप्रार्थी बेल्डिंग का ठेकेदार एंव कुशल कारीगर है बेल्डिंग के कार्य व कुशल कारीगर होने के कारण अप्रार्थी को 25000/– रु. मासिक आमदनी होती है। ओवर टाइम होने पर अप्रार्थी को 5000/– रु. अलग से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अप्रार्थी को कुल 30000/– रु. की मासिक आमदनी होती है। अप्रार्थी व उसकी पत्नी से प्रार्थीगण भरण पोषण की राशी , नल

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

बिजली के बिल का खर्चा मांगते है। तो अप्रार्थी व उसकी पत्नी गाली गलोज करते हुए प्रार्थीगण के साथ मारपीट करते है। जिनके विरुद्ध थाना महावीर कोटा में रिपोर्ट दर्ज करवाई लेकिन कार्यवाही न होने के कारण एसपी कोटा शहर के यंहा 11.07.24 व 30.07.24 को परिवाद पेश किया ,अप्रार्थी के ससुराल वाले प्रभावशाली होने के कारण थाना महावीर नगर से सांठ गांठ कर लेते है , इस कारण अप्रार्थी व उसकी पत्नी व उसके ससुराल पक्ष के साथ कोई कार्यवाही नही की जाती है। इस कारण अप्रार्थीगण के हौंसले काफी बुलंद है, अप्रार्थीगण के कृत्य से प्रार्थीगण डिप्रेशन में है और बीमार चल रहे है। प्रार्थीगण वृद्ध के बावजूद भी अप्रार्थीगण भरण पोषण नही कर रहे है । प्रार्थीगण भरण पोषण करने में असमर्थ है ,इस कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थी से 15000/–रु भरण पोषण राशी दिलवाए जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थी व उसकी पत्नी को प्रार्थी के मकान से बेदखल किया जाना आवश्यक हो गया है। अप्रार्थी न तो भरण पोषण राशी एंव नल बिजली के बिल का खर्चा देता है । इस कारण अप्रार्थी को बेदखल किया जावे। जिससे की प्रार्थीगण उक्त मकान को किराये पर देकर अपना भरण पोषण कर सकते है। प्रार्थीगण ने मेहनत मजदूरी करके उक्त मकान को कड़ी मेहनत करके बनाया है , जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पास आय का कोई माध्यम नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी से 15000/– रु. भरण पोषण राशि दिलवायी जावे और अप्रार्थीगण को उचित मकान से बेदखल किये जाने के आदेश जारी करने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण अप्रार्थी के माता पिता है एवं प्रार्थीगणों के परिवार में दोनों के अलावा एक पुत्र रवि कुमार एवं तीन पुत्रीयां क्रमशः राजेश बाई , राखी कुमारी एवं अनुराधा परिवार के सदस्य है। प्रार्थीगण द्वारा राजेश बाई एवं राखी कुमारी का विवाह कर दिया गया है वह अपने ससुराल में निवास कर रही है। अप्रार्थी प्रार्थीगण के साथ आवासीय मकान में अपने परिवार में पत्नी व बच्चे के साथ निवास करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी की पहली पत्नी को दहेज की मांग करते हुये मारपीट कर घर से निकाल दिया एवं तत्पश्चात अप्रार्थी रवि कुमार का विवाह मिथलेश कुमारी के साथ करवा दिया एवं अप्रार्थी व उसकी पत्नी के साथ आयेदिन प्रार्थीगण दहेज को लेकर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कारित करते है, मारपीट इत्यादि करते है जिसके सम्बंध में मिथलेश कुमारी द्वारा दिनांक 24.07.2024 को पुलिस थाना महावीर नगर में परिवाद पेश किया था। प्रार्थीगण वरिष्ठ नागरिक होने के नाते दोनों सरकार से 1,150/–रूपये प्रतिमाह पृथक पृथक से प्राप्त करते है एवं इनका राशनकार्ड भी बना हुआ है जिसका सरकार द्वारा इनको उचित मूल्यों पर राशन भी प्राप्त होता है। अप्रार्थीगण के आर्थिक सहयोग से प्रार्थीगणों ने मकान में एक दुकान का भी निर्माण करवाया गया है जिसे 5000/–रूपये प्रतिमाह किराये पर दिया हुआ है जिससे भी प्रार्थीगण को 5,000/–रूपये किराये के रूप में प्राप्त होते है, प्रार्थीगण के सबसे छोटी पुत्री अनुराधा अविवाहित है तथा सिटीमॉल कोटा में कार्यरत है जिससे प्रार्थीगणों की आर्थिक स्थिति अप्रार्थीगणों से कई ज्यादा अच्छी है। अप्रार्थी दैनिक मजदूरी का कार्य करता है एवं वैल्डिंग के कार्य में सहायक के रूप में कार्य करता है, अप्रार्थी की दूसरी पत्नी से उसे दो संतान प्राप्त हुई जिसमें एक की मृत्यु कॉरोना काल के समय हो गई ओर दूसरी संतान जन्म से ही अस्थमा का मरीज है जो जरिये ईलाज जेरकार है। जिसका सम्पूर्ण खर्चा भी अप्रार्थी के द्वारा वहन किया जाता है, प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

के मकान का नल बिजली का बिल भी अप्रार्थी के द्वारा जमा किया जाता है एवं अपने परिवार का सम्पूर्ण राशन व खाना–पीने का खर्चा स्वयं अप्रार्थी वहन करता है, फिर भी प्रार्थीगण अप्रार्थी पर झूठे व लड़ाई झगड़े के आरोप लगाकर अप्रार्थीगण को घर से बाहर निकालने का प्रयास अपने विवाहित बहनों व उनके पतियों के भडकावे में आकर अप्रार्थी जो प्रार्थीगण का एक मात्र पुत्र है को घर से बेदखल करने पर आमादा है एवं मकान को हडप करना चाहते है। अप्रार्थीगण द्वारा आज तक उसके माता पिता से किसी भी प्रकार का कोई लडाई झगड़ा नही किया गया है जिसकी तस्दीक मोहल्ले वासियों से भी की जा सकती है, अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य नही किया गया है जिससे प्रार्थीगण को कोई परेशानी का सामना करना पड़े, फिर भी अप्रार्थी माननीय न्यायालय से जवाब पेश कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण की ओर से जवाब उल जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की तीन पुत्रिया राजेश बाई राखी कुमारी विवाहिता एवं अनुराधा अविवाहित राजेश बाई एवं राखी विवाह के उपरांत उनके ससुराल में निवास कर रही है । अप्रार्थी रवि कुमार व मिथलेश कुमारी प्रार्थीगण को बिना किसी प्रकार का खर्चा दिये हुए निवास कर रहा है, जैसे नल बिजली का बिल व भरण पोषण भी प्रार्थीगण द्वारा वहन किया जा रहा है। अप्रार्थी व पहली पत्नि आशा से दोनो ने आपसी सहमति से तलाक लिया है । प्रार्थगण ने आशा से किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं मांगा और न आशा के साथ किसी प्रकार की मारपीट नही की गई । अप्रार्थी और उसकी पत्नि आशा एक दूसरे को पसंद नही करते थे। इस कारण तलाक की नोबत आयी और दोनो ने राजीखुशी तलाक ले लिया अशोक कुमार ने तलाकशुदा अपनी साली मिथलेश को अप्रार्थी को दिखाया और दोनो में बातचीत करवाकर नाता विवाह करवा दिया। नाता विवाह करने के बाद अप्रार्थी और अप्रार्थीया मिथलेश कुमारी प्रार्थीगण के मकान में उपर रहने लग गये अप्रार्थीया मिथलेश कुमारी प्राथी से अलग होने का बहाना बनाकर आये दिन लड़ाई झगड़ा करने लग गई इससे प्रार्थीगण की शांति भंग हो गई कई बार मिथलेश कुमारी प्रार्थीया संतोष बाई के साथ मारपीट कर चूकी है और छोटी छोटी बातों के लेकर आये दिन अप्रार्थीगण मिथलेश कुमारी उसके परिजन पिता बृजमोहन माता गुडडी बाई जीजा अशोक कुमार ,कमल कुमार जयकिशन व बहिन पिंकी ज्योति ,रितू को बुला लेती है और आये दिन जान से मारने की धमकी देते है, कई बार मारपीट कर चूके है। गृहस्थी न टूटे इस कारण मिथलेश कुमारी के परिजनों के कृत्य को प्रार्थीगण सहन करते रहें। दिनांक 08/07/24 को रात्रि 8 बजे करीब अंधेरे का फायदा उठाकर बृजमोहन, गुडडी बाई, अशोक पिंकी, कमल कुमार व जयकिशन आये दिन और प्रार्थीगण के आवासीय मकान में रवि कुमार व मिथलेश कुमारी के यहां चले गये और वहां से एक राय होकर जान से मारने की नियत से बृजमोहन गुडडी बाई ,जिजा अशोक कुमार ,कमल कुमार जयकिशन बहिन पिंकी ज्योति रितु मिथलेश रवि उर्फ गोलू नीचे आये और प्रार्थी, प्रार्थी की पत्नि और प्रार्थी की पुत्री अनुराधा के साथ मारपीट की और पत्नि संतोष के साथ झामक झुमा हो गये और बाल पकड़कर घसीट घसीटकर मारपीट की जिसकी रिपोर्ट थाना महावीर नगर में की कार्यवाही न होने पर एस. पी, ऑफिस में कार्यवाही की लेकिन अनुसधांन अधिकारी की मिथलेश व मिथलेश के परिजनो के साथ सांठ गांठ होने के कारण कार्यवाही नहीं हुई ,इस कारण न्यायालय में कार्यवाही करनी पड़ी। प्रार्थीगण सीनियर सीटीजन है। जिनको अप्रार्थी नें पेंशन भोगी बताया है और 1150 रुपयें प्रति माह पृथक मिलना बताया अप्रार्थी नें अपने जवाब में यह नही बताया कि राज्य

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

सरकार से प्रार्थीगण को कब से पेंशन मिल रही है। प्रार्थीगण की एक दुकान 8×8 की बना रखी है ,जिसमें एक डॉक्टर किरायेदार है। जो प्रार्थीगण को लोकेशन न होने के कारण 2 हजार रुपये किराया देता है। उक्त किराया भी प्रार्थीगण की वृद्धावस्था होने के कारण बीमारी में खर्च हो जाते है। प्रार्थीगण की एक पुत्री अनुराधा कुंवारी है, जो सिटीमाल कोटा में कार्यरत है। जो अक्सर बीमार रहती है और कभी जाती है कभी नही जाती है इस कारण उसका पारिश्रमिक बीमारी में खर्च हो जाता है। अप्रार्थी बेल्डिंग का ठेकेदार है, जिसकी आमदनी 30 हजार रुपये व ऑवर टाइम करने पर 15–20 हजार रुपये आमदनी अलग से होती है । अप्रार्थी की पुत्री डेंगू बीमारी से पीड़ित हो गई, जिसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया और ईलाज न होने के कारण शांति हॉस्पिटल श्री जी हॉस्पिटल तलवंडी कोटा में भर्ती करवाया अप्रार्थी के पास ईलाज के पेसे न होने कारण 20 हजार रुपये उधार लाकर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को दिए और ईलाज करवाया दौरान ए ईलाज अप्रार्थी की पुत्री का दैहांत हो गया। दूसरे पुत्र के जन्म के समय मोहित की डिलीवरी के समय 10 हजार रुपये पुत्री अनुराधा ने व प्रार्थी की माँ ने 10 हजार रुपये दिये। अप्रार्थी रवि उर्फ गोलू व मिथलेश कुमारी प्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई खर्चा नही देते है । इस कारण नल बिजली का बिल जमा नही हो पाता है व वृद्धावस्था होने के कारण खाने पीने की व्यवस्था न होने के कारण प्रार्थीगण ने 50 हजार रुपये का लोन लेकर नल बिजली के बिल जमा करवायें और शेष अपने खाने पीने में खर्च किए । बिल जमा न होने के कारण वर्तमान में 9256 रुपये का नल का व 31,655.74 पैसे बिजली के बिल के बकाया है, अप्रार्थी रवि व मिथलेश कुमारी लड़ाई झगड़ा करके खाने पीने के सामान प्रार्थीगण के घर में से ले जाते है , मना करने पर मारपीट करते है। अप्रार्थी बेल्डिंग का ठेकेदार होने के कारण मोटर साईकिल मेंटेन करता है और कोटा शहर में व गांव में भी ठेका लेकर काम करने जाता है। अप्रार्थी के पास आमदनी होने के बावजूद भी प्रार्थीगण को नल बिजली का बिल भरने के लिए व खाने पीने के लिए व भरण पोषण के लिए पैसे नही देता है, इस कारण इस कारण अप्रार्थी रवि उर्फ गोलू व मिथलेश को घर से बेदखल किया जाना आवश्यक हो गया है, इस कारण माननीय न्यायालय से जवाब बुल जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से 20 हजार रुपये महिना भरण पोषण दिलाया जाना आवश्यक है। अतः जवाब बुल जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से 20 हजार रु. महिना दिलवाया जाने की कृपा करें।

उभयपक्ष की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी बेल्डिंग का ठेकेदार एंव कुशल कारीगर है बेल्डिंग के कार्य व कुशल कारीगर होने के कारण अप्रार्थी को 25000/– रु. मासिक आमदनी होती है। ओवर टाइम होने पर अप्रार्थी को 5000/– रु. अलग से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अप्रार्थी को कुल 30000/– रु. की मासिक आमदनी होती है। अप्रार्थी न तो भरण पोषण राशि एवं न ही नल बिजली के बिल का खर्चा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

देता है। अतः अप्रार्थी से 15,000/– रूप्ये भरण पोषण राशि दिलवायी जावे। अप्रार्थी की ओर से अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थीगण वरिष्ठ नागरिक होने के नाते दोनों सरकार से 1,150/–रूपये प्रतिमाह पृथक पृथक से प्राप्त करते है एवं इनका राशनकार्ड भी बना हुआ है जिसका सरकार द्वारा इनको उचित मूल्यों पर राशन भी प्राप्त होता है। अप्रार्थीगण के आर्थिक सहयोग से प्रार्थीगणों ने मकान में एक दुकान का भी निर्माण करवाया गया है जिसे 5000/–रूपये प्रतिमाह किराये पर दिया हुआ है जिससे भी प्रार्थीगण को 5,000/–रूपये किराये के रूप में प्राप्त होते है। प्रार्थीगण की ओर से अपने जवाब उल जवाब में निवेदन किया है कि अप्रार्थी की पुत्री डेंगू बीमारी से पीड़ित हो गई, अप्रार्थी के पास ईलाज के पेसे न होने कारण 20 हजार रुपये उधार लाकर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को दिए। दूसरे पुत्र के जन्म के समय 10 हजार रुपये पुत्री अनुराधा ने व प्रार्थी की माँ ने 10 हजार रुपये दिये। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी के कथनों एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण राज्य सरकार से वृद्धावस्था पेंशन एवं दुकान का किराया प्राप्त करते है जिससे प्रार्थीगण के पास जीवन निर्वाह हेतु आय के पर्याप्त साधन है। चूंकि प्रार्थीगण की ओर से यह भी कथन किया है कि प्रार्थीगण ने इलाज के लिये अप्रार्थी को पैसे दिये है जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि अप्रार्थी की आर्थिक स्थिति दयनीय है। जिस कारण से प्रार्थीगण को अप्रार्थी से मासिक भरण पोषण राशि दिलाया जाना भी उचित प्रतीत नही होता है। अप्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि अप्रार्थी मकान का नल बिजली का बिल भी अप्रार्थी के द्वारा जमा किया जाता है। अतः अप्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि मकान 251 पारेता चक्की वाले की गली में हरिओम नगर कच्ची बस्ती कोटा राज0 का सम्पूर्ण नल एवं बिजली का बिल अप्रार्थी स्वयं वहन करें। यदि अप्रार्थी द्वारा उक्त आदेश का पालना नही की जाती है कि तो प्रार्थीगण उक्त मकान से अप्रार्थी की बेदखली हेतु पुनः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 25/2/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा